

Government of Rajasthan  
Revenue Department

No: ५० 6(4)राजस्व-6/01/1

दिनांक-15.1.03

समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।  
समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।

परिपत्र

विषय :- अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए छात्रावास, सामुदायिक केन्द्र, स्कूल, भवन आदि के निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि का आवंटन।

जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना क्रमांक प.6(4)राजस्व/6/2001/28 दिनांक 21 मई, 2001 के द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन वर्गों के लोगों को सामुदायिक केन्द्र के लिए 5/16 एकड़, छात्रावास एवं स्कूल भवन के लिए 2-2 एकड़ निःशुल्क भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया है। इन समस्त निर्णयों की जानकारी राजस्व विभाग द्वारा जारी पुस्तिका "संकलन" में भी दी गयी है, जिसकी प्रति आपको पूर्व में ही भेजी जा चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्विति का दायित्व जिला कलेक्टरों पर है। मेरे ध्यान में यह लाया गया है कि कुछ जिलों में इस तरह की भूमि आवंटन के प्रस्ताव लाम्बित चले आ रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रस्तावों को अपने स्तर पर देखें तथा उन्हें राज्य सरकार को शीघ्र गिजवाने की व्यवस्था करें। भविष्य में ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हों तो उन्हें पूर्ण करवाकर राज्य सरकार को शीघ्रता से गिजवाया जाए।

मैं यह भी आशा करता हूँ कि आप राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाये ताकि समाज अल्पसंख्यक वर्गों का पूरा लाभ उठा सकें। आप द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बंध में कृपया राजस्व राधिव को सूचित करें।

६५ - १५१०३

(आर.के. नायर)